न्यायालय जिला कलक्टर अलवर(राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/18/2024	2024/38	08–02–2024	13–02–2024

01– अख्तर पुत्र जुम्मे खां निवासी झण्डीपुरी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर हाल जिला डीग राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

01– सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना नौगांवा जिला अलवर।

–अप्राथी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 8 (2) राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 जब्तशुदा 3 ऊंट व 6 ऊंटनियों के निस्तारण बाबत्।

–:निर्णयः–

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य यह है कि मुकामी थानाधिकारी पुलिस थाना नौगांवा जिला अलवर द्वारा प्रार्थी के पास से तीन ऊंट व छः ऊंटनियां जप्त की है। जिनका प्रार्थी झुंझुनु से खरीद कर अपने कृषि व घरेलु कार्य हेतु लेकर आया था। जिन्हें मुकामी पुलिस थाना ने एफआईआर सं0 51/2024 दि0 05.02.2024 में अंतर्गत धारा 8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 के तहत जप्त कर लिया है। जप्तशुदा ऊंट व ऊंटनियों की आवश्यकता पुलिस थाना को नहीं है। चूंकि ऊंट व ऊंटनियां पशु है। जिन्हे समय–समय पर खाने पीने की उचित व्यवस्था करनी पडती है, यदि प्रार्थी के ऊंट व ऊंटनियां अधिक समय तक थाने में जप्त रहे तो वे भूख प्यास से मर भी सकते है। जिसकी पूर्ति मुकामी पुलिस द्वारा किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अपने ऊंट व ऊंटनियों की आवश्यकता रहती है। जिनके अभाव में प्रार्थी के द्वारा दैनिक कृषि व घरेलू कार्य आदि करना संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण में जप्तशुदा ऊंट व ऊंटनियां सुपुर्दनामा पर दिये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र पर एसएचओ नौगावां से रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी नौगावां ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि परिवादी श्री बृजमोहन एएसआई थाना नौगावां ने वापसी थाना पर टाईप शुदा फर्द जप्ती रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि फर्द जप्ती 3 ऊंट व 6 ऊंटनियां कब्जा आरोपी अख्तर पर कार्यवाही धारा 8 (2) राज0 ऊंट अधि0 2015 थाना नौगावां दि0 05.02.2024 साक्षीगण श्री सुशील कानि0 2028, श्री रामसहाय कानि0 1355 उपरोक्त के समक्ष दौराने गस्त मुताबिक सूचना के गस्त करते हुए मुबारिकपुर सरकारी स्कूल के पास नंगला चिरावडा रोड पर समय करीब 12.05 एएम पर पहूंचे तो एक व्यक्ति तीन ऊंट व छः ऊंटनियां लेकर आ रहा था जिसका उक्त पशुओं के संबंध में अख्तर से इन परिवहन करने के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि मैं इनका झुन्झुनु से खरीद कर लाया हूं औ पहाडी गांव में ले आ रहा हूं। शक्श अख्तर से इन ऊंटों के परिवहन किये जाने के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा परमिशन के संबंध में पूछताछ की तो इस तरह की अपने पास कोई परमिशन नहीं होना बताया। इस तरह अख्तर का बिना अनुमति के ऊंटों का परिवहन करना कृत्य धारा 8(2) राज0 ऊंट अधि0 2015 की तारीफ का अपराध होना पाया जाने पर उक्त समस्त ऊंटों 9 का जरिये फर्द कब्जा पुलिस लिया गया। अख्तर को हमराह थाना लेकर आया गया। हुलिया एक ऊंट करीब 4 साल, दो ऊंट करीब 6–6 साल, एक ऊंटनी करीब 4 साल, एक ऊंटनी करीब 6 साल, चार ऊंटनी करीब 8–9 साल फर्द जप्ती हस्ब मुर्तिब कर

जिला कलक्टर, अलवर

गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये। आदि पर मुकदमा नम्बर 51/2024 धारा 8 (2) राज0 ऊंट अधि0 2015 में दर्ज कर अनुसंधान श्री विनोद कुमार सउनि द्वारा आरंभ किया गया।

प्रकरण हाजा दौराने तफतीश बयान मुस्तगीस व गवाहान लिये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जप्त शुदा पशुधन को थाना पर चारा पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्थाई सुपुर्दगी पर दिया गया। कथित आरोपी अख्तर से पूछताछ व तफतीश की गई। दौराने तफतीश व पूछताछ पर अभी तक के अनुसंधान से झुन्झुनु जिला के ईलाकों से ऊंटों को खरीद कर अपने गांव झुण्डीपुर व ईलाका थाना पहाडी जिल डीग जो राज0 ईलाके में ही है को खेती बाडी व कृषि के काम के लिए गांवों में लाकर बेचान पाया गया। प्रथम दृष्ट्या अपराध नहीं बनने पर अख्तर को धारा 41 ए सीआरपीसी का नोटिस दिया जाकर रूकसत किया गया। ऊंटों की तस्करी व वध के लिए हरियाणा सीमा में ले जाने जैसे कोई तथ्य भी अभी तक सामने नहीं आये है। ऊंट पशुधन को थाना हाजा पर चारा पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्थाई सुपुर्दगी पर भगवान गोरख नाथ गौशाला पडावदा, गढी–धनेटा थाना नौगावां में दिये है। जिनमें से एक ऊंट की दिनांक 08.02.2024 सांय को मौत हो गई है। जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। शेष 8 ऊंट/ऊंटनियो की स्थाई सुपुर्दगी नियमानुसार करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अनुसंधान जारी है।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 की धारा 7 (1) में स्पष्ट है कि **"जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथ ऊंट की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसी को सौंपी जा सकेगी, परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की रक्षा क्षेत्र के बाहर किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे"**। साथ ही ध्यान फाउण्डेशन नई दिल्ली द्वारा भी प्रार्थना पत्र दि0 12.02.2024 पेश कर निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा प्राधिकृत बडोदिया गोशाला जयपुर में उक्त ऊँटों को रखने तथा ऊँटों की देखभाल तथा खाना एवं दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अपनी सहमति जाहिर की गयी है। मुकामी थाना नौगावां द्वारा प्रकरण में अनुसंधान जारी होना भी अवगत कराया गया है, यह भी अवगत कराया गया है कि एक ऊंट की दिनांक 08.02.2024 सांय को मौत हो गई है। 2 ऊंट 6 ऊंटनियां शेष है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक जब्तशुदा ऊंटों को प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 की धारा 7 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना नौगावां अलवर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में शेष जब्तशुदा 2 ऊंट व 6 ऊंटनियों को ध्यान फाउण्डेशन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत बडोदिया गोशाला, जयपुर राजस्थान को सुपुर्दगी में दिये जावें। कार्यवाही से न्यायालय को भी अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर, (राजस्थान)